akshar
Date
Page
Note Book

B.A.-1 Pol.sc
Paper II Parliamentary and Presidential form Govt.

Topic:- संसदीय शासन एवं अध्यक्षीय शासन प्रणालियों आवश्यक लक्षणों की व्याख्या

विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सम्बन्ध के घटक को दृष्टि में रखते हुए शासन के दो रूप और देखे जा सकते हैं। यदि विधायिका तथा कार्यपालिका संयुक्त हों तथा विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी हो तो यह संसदीय शासन प्रणाली कहलाता है। इसे मंत्रिमण्डलीय या "कैबिनेट शासन" के नाम से जाना जाता है। रिम्जे म्योर ने इसे "प्रधानमंत्रीय" शासन का भी नाम दिया है। ब्रिटेन संसदीय शासन का सर्वोच्च उदाहरण है।

इंग्लैण्ड के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों जैसे जर्मनी, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा भारत में विद्यमान संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका की शक्तियाँ मंत्रिमंडल या कैबिनेट में नीहित होता है, अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका अथवा उसके एक अंग (सामान्यतया निर्वाचित लोकसदन) के प्रति उत्तरदायी होती है।

संसदीय शासन के रूप की नि०लि० विशेषताएं हैं:—

1. नाममात्र का अध्यक्ष :— संसदीय शासन व्यवस्था में राज्याध्यक्ष (राजा या राष्ट्रपति) नाममात्र का अध्यक्ष होता है। सभी शक्तियाँ औपचारिक रूप से राज्याध्यक्ष में ही समाहित होती हैं, लेकिन उसका प्रयोग संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाता है। राज्याध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वही सरकार का अध्यक्ष होता है, वह मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके त्यागपत्र भी स्वीकार करता है वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन करता है यदि कोई मंत्री अपनी विश्वसनीयता खो देता है, तो प्रधानमंत्री उसे पदच्युत कर सकता है।

2. प्रधानमंत्री का नेतृत्व :— प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। अतः उसे राज्य का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष" कहा जाता है। वह शासन का प्रमुख होता है, मंत्रिमण्डल का आधार स्तम्भ, लोकसदन का नेता तथा राष्ट्रीय प्रशासन का प्रधान संचालक होता है। उसी की सलाह पर राष्ट्राध्यक्ष मंत्रियों की नियुक्ति, निष्कासन विभागों में परिवर्तन, संसद के सत्र का आह्वान एवं समापन, युद्ध एवं शांति की घोषणा, राष्ट्र के नाम से कोई अपील जारी करना आदि से सम्बन्धित कार्य करता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधान मंत्री सर्व शक्तिमान होता है।

Scanned with CamScanner

(2)

3. राजनीतिक समरूपता :— संसद में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है इन्हीं के सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यदि संसद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर अधिक दल मिलकर सरकार का गठन कर सकते हैं। इस प्रकार की सरकार को "राष्ट्रीय सरकार" या गठबंधन वाली सरकार कहा जाता है।

4. सामूहिक उत्तरदायित्व :— विधायिका के प्रति मंत्रियों का उत्तरदायित्व इस शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। एक मान्य परम्परा के अनुसार यदि विधायिका के दो सदन हो तो प्रधान मंत्री को निम्न अथवा प्रतिनिधि सदन का सदस्य होना चाहिए, यदि कोई प्रधानमंत्री या मंत्री संसद के सदस्य नहीं है तो उसे अगले छः महीने में सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए। मंत्रीगण यह भी ध्यान रखते हैं कि विधायिका सार्वजनिक महत्व के प्रत्येक मामले में उनके पूर्व में निर्मित प्रयासों को स्वीकारती है। मंत्रियों को उसी सदन में मत देने का अधिकार होता है जिसके वे सदस्य होते हैं। यदि निन्दा का प्रस्ताव पारित हो जाए, या सदन में सरकार की हार हो जाए तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त कहा जाता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के नियम में भी बंधे रहते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देने को कह सकता है।

5. सबल तथा प्रभावपूर्ण विरोधी पक्ष :— यदि बहुमत वाला दल शासन का गठन करता है तो अन्य दल विरोधी पक्ष का गठन करते हैं। तथापि यह अपेक्षित है कि विरोधी पक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए जिसे इंग्लैंड के लोग 'निष्ठावान प्रतिपक्ष' कहते हैं। विरोधी पक्ष का काम है कि सत्ताधारी दल के दुरुपयोग को रोकना। यदि सत्ता पक्ष के कार्य जनविरोधी हो तो विरोधी पक्ष उसके किए कार्यों पर प्रहार करता है। यदि शासन के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए और वैकल्पिक रूप से शासन गठित करने की कोई सम्भावना नहीं है, तब प्रधानमंत्री नाममात्र के राष्ट्राध्यक्ष से संसद को भंग करने की सलाह दे सकता है।

इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल संसद या इसके माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

Scanned with CamScanner

अध्यक्षीय शासन (Presidential Government) :— जिस शासन में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य राज्य जैसे :— ब्राजील, अर्जेंटाइना, चिली, मैक्सिको, फिलीपीन्स, दक्षिण अफ्रीका आदि में विद्यमान है। अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन शक्तियों के पृथक्करण सिद्धान्त पर आधारित है। राष्ट्रपति (प्रमुख कार्यकारी) राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किन्तु महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अतः एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका (राज्याध्यक्ष एवं इसके मंत्री) से वैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। और अपने राजनीतिक नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता"। इस शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ है।

1. राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता (Real Authority of the President) कार्यपालिका का नेतृत्व राष्ट्रपति के हाथ में होता है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। संविधान इनके लिए अवधि भी निश्चित करता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चार-वर्ष-काल राष्ट्रपति अपने परामर्शदाताओं के रूप में अपने मंत्रियों को मनोनीत करता है, मंत्रियों के निकाय को मंत्रिमंडल कहा जाता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के विभागों में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता है, यदि कोई मंत्री उसका विश्वास खो दे तो उसे हटाया जा सकता है। वह राजनीति का निर्माण करता है सेनाओं के संचालन का आदेश देता है, आपात स्थिति की घोषणा करता है। तथा देश में व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक परिवर्तन करता है। वास्तव में वह देश में वास्तविक शासक के रूप में शासन करता है।

2. विधायिका और कार्यपालिका की पृथकता (Separation of Legislature and Executive) :— राष्ट्रपति और उसके मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते यदि राष्ट्रपति (विधायिका) के किसी सदस्य को अपने मंत्री के रूप में नियुक्त करता है तो उसे विधायिका की सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति तथा इसके मंत्री विधायिका की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति विधायिका में अपना कोई महत्वपूर्ण भाषण देने जा सकता है या संदेश भेज सकता है जिसे विधायिका स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिगण भी

akshar
Date
Page
Note Book

विधायिका की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। कार्यपालिका बजट तैयार करती है उसे विधायिका में प्रस्तुत करती है, लेकिन विधायिका इसमें कटौती कर सकती है। विधेयक राष्ट्रपति के निषेधाधिकार (Veto Power) के अधीन होते हैं। विधायिका द्वारा पारित करने के माध्यम से राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का परिहार करने की व्यवस्था भी की जाती है। इस प्रकार शासन के इस रूप में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक रखा जाता है।

3. निरोध तथा संतुलन (Checks and Balances):-
राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी ढंग से आचरण न करने लगे, इसके लिए निरोधों तथा संतुलनों की व्यवस्था की गयी है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में की गयी सभी नियुक्तियों व विदेशी संधियों सभी अमेरिकी सिनेट के द्वारा पुष्ट की जाती है। कांग्रेस के द्वारा निर्मित कानून तथा कार्यपालिका के आदेश न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द किये जा सकते हैं। कि वे संविधान के विरुद्ध है। केवल शासन के तीनों अंगों को पृथक करना ही पर्याप्त नहीं, निरोध और संतुलन की व्यवस्था उस पृथकता का पूरक भाग बनकर इस शासन को चलाती है।

4. महाभियोग की प्रक्रिया (Process of Impeachment) सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि राष्ट्रपति को पद की शपथ या संविधान के उल्लंघन का दोषी पाया जाय तो उसे हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया (Process of Impeachment) का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा तथा संरक्षण करेगा। यदि वह इसके विपरीत कार्य करे तो उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतया संयुक्त राज्य अमेरिका में महाभियोग का कार्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से आरम्भ होगा। सदन आरोप पत्र प्रस्तुत करेगा तथा राष्ट्रपति अपना स्पष्टीकरण देगा। विवाद का निर्णय दूसरा सदन सीनेट में पूरे सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से होगा।

अतः अध्यक्षीय शासन संसदीय शासन के विपरीत होता है। अतः एक के गुण दूसरे के दोष माने जाते हैं। जो विभिन्न देशों में विभिन्न स्थितियों के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं।

Scanned with CamScanner